

फार्म

299/2410/17  
1/2/17

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण वर्ष .....2016.....

अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा कानाम जिसमें वह हो...**गोविंद पण्डा**.....(2) वर्तमान धारित पद..सहायक शिष्टाचार अधिकारी

(3) वर्तमान वेतन .13460.+3600.+DA ..... (4) अगली वेतन वृद्धि की तारीख जुलाई 2017

उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
01	02	03	04	05	06	07	08
कन्नौद - जिला देवास (म.प्र.)	पैतृक मकान अविभाजित संयुक्त परिवार	3.77 एकड़ कृषि भूमि स्वयं के नाम पर (असिंचित)	वर्तमान बाजार मूल्य <del>रु. 10 लाख</del> 10 लाख 15 लाख रुपये	स्वयं के नाम पर	विरासत	स्वयं को आय कुछ नहीं (संयुक्त परिवार के पालन पोषण हेतु)	कृषि भूमि माँ के देखरेख में एवं संयुक्त परिवार के उपयोग पर व्यय

\*जहाँ लागू न हो काट दीजिए.

\*\*ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाय

\*\*\*इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है.

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ..... 

नाम ....**गोविंद पण्डा**

पद सहायक शिष्टाचार अधिकारी

विभाग .म.प्र.विधान सभा सचिवालय